

अध्याय III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षेत्र 3)

अध्याय-III

सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र (सा क्षे उ)

3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यविधि

3.1.1 परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रिया कलापों को संपादित करने हेतु राज्य सा क्षे उ की स्थापना की गई है एवं यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2015 को, 21 सा क्षे उ ऐसे थे जो कि कार्यरत थे। इनमें से, कोई भी कम्पनी पूंजी विनिमय में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 के दौरान, कोई नया सा क्षे उ सम्मिलित या बंद नहीं हुआ था। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखण्ड में राज्य सा क्षे उ का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.1: 31 मार्च 2015 को सा क्षे उ की कुल संख्या

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ ¹	कुल
सरकारी कम्पनियाँ	18	04 ²	22
सांविधिक निगम	03 ³	-	03
कुल	21	04	25

सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत वार्षिक लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ ने ₹ 5,741.42 करोड़ (परिशिष्ट 3.1.2) का कारोबार दर्ज किया था। यह कारोबार वर्ष 2014-15 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के 4.14 प्रतिशत के बराबर था। सितम्बर 2015 तक अन्तिमीकृत किये गये लेखों के अनुसार कार्यरत सा क्षे उ द्वारा ₹ 283.09 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया। मार्च 2015 के अंत तक उनके द्वारा 19,896 कर्मचारी (परिशिष्ट 3.1.2) नियोजित किए गए।

31 मार्च 2015 तक चार अकार्यरत सा क्षे उ ऐसे थे जो पिछले 25 से 28 वर्षों से मौजूद थे और जिनमें ₹ 0.37 करोड़ का निवेश था।

3.1.2 जवाबदेही संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं धारा 143 से संबंधित प्रावधानों के द्वारा सरकारी कम्पनियों की, लेखापरीक्षा की प्रक्रिया शासित होती है। अधिनियम की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह कम्पनी है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत पूंजी केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों, इसमें वह कम्पनी भी शामिल हैं जो इस प्रकार की सरकारी कम्पनी की एक

¹ अकार्यरत वे सा क्षे उ हैं, जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया है।

² कम्ट्रोन लिमिटेड, उत्तरप्रदेश हिलफोनस लिमिटेड, उत्तरप्रदेश हिलक्वार्ट्ज लिमिटेड और उ पा ई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परीसमापन पर था)।

³ उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड वन विकास निगम और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम।

सहायक कम्पनी है। पुनश्च, अधिनियम की धारा-143 की उपधारा - 7 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) ऐसी कम्पनी के प्रकरण में जो धारा-139 की उपधारा-5 या उपधारा-7 में आच्छादित हो, यदि आवश्यक समझता है, एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनियों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा संपादित करती है तथा नि म ले प (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा - 19 अ के प्रावधानों को उस कम्पनी के लेखों की ऐसी नमूना जाँच को प्रतिवेदित करने में लागू करता है। इस प्रकार सरकारी कम्पनियाँ कोई अन्य कम्पनी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं या केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के नियंत्रण में हों, की लेखापरीक्षा नि म ले प के द्वारा की जाती हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण जो 31 मार्च 2014 या उस से पूर्व के हों, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार शासित रहेगी।

3.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरण (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम की धारा-139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले प द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, जो एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतिलिपि जिसमें अन्य दूसरी चीजों के साथ अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार कम्पनी का वित्तीय विवरण सम्मिलित है, नि म ले प को प्रस्तुत करेगा। अधिनियम की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर नि म ले प द्वारा पूरक लेखापरीक्षा संपादित की जायेगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, उत्तराखंड परिवहन निगम और उत्तराखंड वन विकास निगम के लिए नि म ले प एक मात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा प्रारम्भ में नि म ले प को वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 तक के लिए सौंपी गयी थी जिसे नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तक विस्तारित किया गया है।

3.1.4 सरकार और विधायिका का कार्य

राज्य सरकार सा क्षे उ के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड के निर्देशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मंडल सा क्षे उ में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता का भी अनुश्रवण करता है। इसके लिए, राज्य सरकार कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अधिनियम की धारा - 394 के अन्तर्गत या जैसा संबंधित अधिनियम में निर्धारित हो, विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है। नि म ले प की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि म ले प के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा - 19 अ के अंतर्गत प्रस्तुत की जायेगी।

3.1.5 उत्तराखण्ड सरकार की हिस्सेदारी

राज्य सरकार की इन सा क्षे उ में महत्वपूर्ण वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **अंशपूँजी और ऋण-** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय-समय पर सा क्षे उ को ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन-** जब कभी भी आवश्यक होता है, राज्य सरकार सा क्षे उ को अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- **प्रत्याभूति-** राज्य सरकार सा क्षे उ द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने पर ब्याज मय ऋण की अदायगी हेतु प्रत्याभूति देती है।

3.1.6 राज्य सा क्षे उ में निवेश

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, 25 सा क्षे उ में निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) ₹ 8,398.51 करोड़ था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:


तालिका 3.1.2: सा क्षे उ में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सा क्षे उ के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत सा क्षे उ	2,675.27	3,008.10	5,683.37	2,477.13	237.63	2,714.76	8,398.13
अकार्यरत सा क्षे उ	0.38	-	0.38	-	-	-	0.38
कुल	2,675.65	3,008.10	5,683.75	2,477.13	237.63	2,714.76	8,398.51

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य के सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 प्रतिशत कार्यरत सा क्षे उ और शेष 0.01 प्रतिशत अकार्यरत सा क्षे उ में था। इस कुल निवेश में 61.35 प्रतिशत पूँजी का और 38.65 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण निहित था। निवेश 2010-11 में ₹ 6,257.24 करोड़ से 34.22 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 8,398.51 करोड़ हो गया जैसा की नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1.1: सा क्षे उ में कुल निवेश



—■— निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण)


3.1.6.1 31 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.3: सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी/अन्य कम्पनियाँ		सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत		
ऊर्जा	3	-	-	3	5,206.62
विनिर्माण	6	3	-	9	286.43
वित्त	3	-	-	3	30.36
विविध	1	-	1	2	1.00
सेवाएं	2	-	1	3	353.13
अवसंरचना	2	-	1	3	2,511.99
कृषि एवं सम्बद्ध	1	1	-	2	8.98
कुल	18	4	3	25	8,398.51

31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2015 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत बार चार्ट में नीचे दिए गए हैं:

चार्ट 3.1.2: सा क्षे उ में क्षेत्रवार निवेश



वर्ष 2014-15 के दौरान कुल निवेश की मुख्य प्रतिशतता ऊर्जा क्षेत्र में ही जारी रही। तथापि, यह 2010-11 (₹ 3,880.70 करोड़) में कुल निवेश का 62.02 प्रतिशत से घटकर 2014-15 (₹ 5,206.62 करोड़) में 61.99 प्रतिशत हो गया। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, विविध क्षेत्र का निवेश भी घटकर 35.45 प्रतिशत से 34.24 प्रतिशत हो गया। 2010-11 से 2014-15 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, कुल निवेश का क्रमशः 2.19 प्रतिशत से बढ़कर 3.41 प्रतिशत एवं 0.34 प्रतिशत से बढ़कर 0.36 प्रतिशत हो गया था।

3.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

राज्य सरकार सा क्षे उ को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2014-15 को समाप्त तीन वर्षों के लिए राज्य के सा क्षे उ से संबंधित इक्विटी, ऋण, अनुदान/ उपदान, बट्टे खाते में डाले जाने वाले ऋण एवं माफी योग्य ब्याज हेतु बजट से बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।


तालिका 3.1.4: सा क्षे उ को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि
1.	समता पूँजी बजटीय बहिर्गमन	2	460.02	4	259.91	4	171.96
2.	बजट से दिया गया ऋण	3	252.90	6	190.07	5	374.43
3.	बजट द्वारा अनुदान/उपदान	5	83.22	4	69.71	3	32.60
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	7	796.14	8	519.69	7 ⁴	578.99
5.	ऋण व ब्याज माफी						
6.	जारी की गयी प्रत्याभूतियाँ	1	1.51	1	1.54	2	57.87
7.	प्रत्याभूति वचनबद्ध	4	1062.93	4	906.66	4	1471.97

इक्विटी, ऋण और अनुदान/ उपदान के निमित्त बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

चार्ट 3.1.3 समतापूँजी, ऋण और अनुदान/उपदानों का बजटीय बहिर्गमन



राज्य सरकार द्वारा राज्य सा क्षे उ को इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/ उपदानों बजटीय बहिर्गमन के रूप में प्रदान किया गया, वर्ष 2010-11 में ₹702.88 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में ₹578.99 करोड़ के साथ अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में प्रत्याभूति वचनबद्धता की राशि ₹1,062.93 करोड़ (चार सा क्षे उ) की थी जो 31 मार्च 2015 को बढ़कर ₹1,471.97 करोड़ (चार सा क्षे उ) हो गई क्योंकि राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लि0 को आर ए पी डी आर पी ऋण पर प्रत्याभूति दी थी। चालू वर्ष के दौरान, दो सा क्षे उ, नामतः उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹57.44 करोड़ और ₹0.43 करोड़ की प्रत्याभूति प्राप्त की थी।

⁴ सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनियों को प्राप्त - समतापूँजी, ऋण, अनुदान जो बजटीय सहायता के रूप में प्राप्त हुआ है, को प्रदर्शित करता है।

सा क्षे उ को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्रत्याभूति देती है जिसके लिए प्रत्याभूति शुल्क वसूल करती है। ऋण गृहीता के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार यह शुल्क शून्य प्रतिशत⁵ से एक प्रतिशत तक होता है। प्रत्याभूति प्रतिबद्धता 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 1,062.93 करोड़ से ₹ 1,471.97 करोड़ हो गई। इसके अतिरिक्त, दो⁶ सार्वजनिक उपक्रमों ने 2014-15 के दौरान ₹ 10.17 करोड़ प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान किया।

3.1.8 वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2015 को इन की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.5: सा क्षे उ के अभिलेखों के सापेक्ष वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार	सा क्षे उ के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	2,188.10	2,729.66	541.56
ऋण	194.94	902.53	707.59
प्रत्याभूति	1,223.76	1,471.97	248.21

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 12 सा क्षे उ के सम्बन्ध में आँकड़ों में अन्तर⁷ पाया गया और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। मुख्यतः प्रत्याभूति के संबंध में दो सा क्षे उ⁷ में तथा इक्विटी के संबंध में पांच सा क्षे उ⁸ में भिन्नतायें पायीं गयीं। सरकार और सा क्षे उ को समयबद्ध ढंग से अन्तरों के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सम्बन्धित सा क्षे के उपक्रमों और वित्त विभाग को अन्तरों के मिलान की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था (अक्टूबर 2015)।

3.1.9 लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

3.1.9.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के कम्पनियों के वित्तीय विवरण का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर, अर्थात् सितम्बर माह के अन्त तक हो जाना चाहिए। जिसकी विफलता कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 99 के अनुसार दंडनीय है। इसी प्रकार संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सांविधिक निगमों के मामले में, उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षा और उनका विधायिका में

⁵ उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की प्रत्याभूति राशि शून्य प्रतिशत है।

⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (₹ 6.19 करोड़) तथा पाँवर ट्रॉन्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 3.98 करोड़)।

⁷ उत्तराखण्ड पाँवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 415.82 करोड़) तथा पाँवर कॉरपोरेशन ट्रॉन्समिशन लिमिटेड (₹ 178.53 करोड़)।

⁸ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 292.75 करोड़) पावर ट्रॉन्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 214.20 करोड़), उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 8.61 करोड़), किच्छा शूगर कम्पनी (₹ 17.21 करोड़) एवं उत्तराखण्ड बहुद्देशीय विकास एवम निगम (₹ 16.05 करोड़)।

प्रस्तुतीकरण होना चाहिए। 30 सितम्बर 2015 को कार्यरत सा क्षे उ के लेखाओं के अन्तिमीकरण की प्रगति नीचे तालिका में दर्शायी गयी हैं:

तालिका 3.1.6: कार्यरत सा क्षे उ के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्र.स.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	कार्यरत सा क्षे उ/अन्य कम्पनियों की संख्या	20	20	20	21	21
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत लेखों की संख्या	28	15	10	16	16
3.	बकाया लेखों की संख्या	135	140	150	148	153
4.	कार्यरत सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया हैं की संख्या	19	20	20	20	20
5.	बकाया अवधि की सीमा (संख्या वर्षों में)	1 से 25 वर्ष	1 से 26 वर्ष	1 से 27 वर्ष	1 से 27 वर्ष	1 से 28 वर्ष

पूर्ववर्ती पाँच वर्षों 2010-11 से 2014-15 के दौरान, राज्य सा क्षे उ लेखाओं को प्रति वर्ष निपटाने में असफल रहे, परिणामस्वरूप बकाये में बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकाया लेखों की संख्या 135 (2010-11) से 153 (2014-15) के बीच हो गयी।

प्रशासनिक विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि वह सा क्षे के उपक्रमों की इन ईकाइयों की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इनके खातों का अन्तिमीकरण और अंगीकरण निर्धारित अवधि के अन्दर किया जाये। संबंधित विभागों को नियमित रूप से बकायों को सूचित किया था। इसके अतिरिक्त, महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार के समक्ष अप्रैल 2015 और सितम्बर 2015 को खातों के बकाया समाप्त करने के प्रकरण को उजागर किया गया तथापि कोई सुधार नहीं पाया गया।

3.1.9.2 राज्य सरकार ने, छः सा क्षे उ में ₹ 448.29 करोड़ का निवेश उन वर्षों के दौरान किया था (इक्विटी: चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 174.55 करोड़, ऋण: चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 250.67 करोड़ तथा अनुदान: एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में ₹ 23.07 करोड़) जिनके लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था तथा उनका विवरण **परिशिष्ट 3.1.1** में दिया गया है। लेखों के अन्तिमीकरण और बाद में उन लेखों की लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या निवेशों और व्यय को लेखों में ठीक प्रकार से लेखाकृत किया गया है तथा उद्देश्यों, जिनके लिए निवेश किया गया था, प्राप्त हुए हैं या नहीं और इस कारण सरकारी निवेश, जो इन सा क्षे उ में किया गया है, राज्य विधायिका के नियन्त्रण से बाहर रहे।

3.1.9.3 उपरोक्त के अतिरिक्त, अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.1.7: अकार्यरत सा क्षे उ के बकाया लेखों की स्थिति

अकार्यरत कम्पनियों के नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	जिनमें लेखे बकाया रहे वर्षों की संख्या
उपाय लि.	1989-90 से	26
कुमट्रौन लि.	1990-91 से	25
उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि.	स्थापना से (1987-88)	28
उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लि.	स्थापना से (1989-90)	26

यह देखा जा सकता है कि चार अकार्यरत सा क्षेत्रों में से एक सा क्षेत्र अर्थात् उपाय लि. 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी और शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्रों के उपक्रमों⁹ में 25 से 28 वर्षों तक के खातों का बकाया था।

सांविधिक निगम के सम्बन्ध में, केवल उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने अपने 2013-14 तक के लेखों का अन्तिमीकरण किया था शेष दो सांविधिक निगमों अर्थात् उत्तराखण्ड परिवहन निगम और उत्तराखण्ड वन विकास निगम के क्रमशः 2012-13 और 2010-11 तक के लेखों का अन्तिमीकरण हुआ था।

3.1.10 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

निगमों द्वारा जारी किये गये (30 सितंबर 2015 तक) सांविधिक निगमों के लेखाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प) की विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:

तालिका 3.1.8: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विधायिका में प्रस्तुतीकरण

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस ए आर प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए	
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को निर्गत होने की तिथि/वर्तमान स्थिति
1	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2008-09	2010-11 से 2012-13	अभी प्रस्तुत नहीं हुए
2	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11 से 2013-14	अभी प्रस्तुत नहीं हुए
3	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2008-09	2009-10 से 2010-11	सरकार को मई 2015 को प्रेषित

3.1.11 लेखों के अन्तिमीकरण न होने का प्रभाव

लेखों को अंतिमरूप देने में देरी का परिणाम जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है, प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ साथ जनता के पैसे की धोखाधड़ी और रिसाव का खतरा हो सकता है। उपरोक्त लेखों के बकाया को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और राज्य की आय में उनके योगदान की भी सूचना राज्य विधान मण्डल को नहीं मिली।

यह संस्तुति की जाती है कि:

- सरकार प्रत्येक व्यक्तिगत कम्पनियों के बकाया लेखों के निपटारे की देख-रेख और प्रगति की निगरानी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।
- जहाँ कहीं सरकारी कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है या विशेषज्ञता का अभाव है, वहाँ सरकार खातों की तैयारी से संबंधित कार्य के लिए आउटसोर्सिंग पर विचार कर सकती है।

3.1.12 सा क्षेत्रों के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार उनका निष्पादन

3.1.12.1 कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 3.1.2** में निर्दिष्ट हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सा क्षेत्रों के कुल कारोबार

⁹ कुमट्रॉन लि, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लि एवं उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर लिमिटेड।

का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों की विद्यमानता को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका की 2014-15 को समाप्त पांच वर्ष की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं राज्य स घ उ का विवरण प्रदर्शित करती है।

तालिका 3.1.9: कार्यरत सा क्षे उ की कारोबार के सापेक्ष राज्य सकल घरेलू उत्पाद का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कारोबार ¹⁰	2,539.52	3,258.60	4,042.00	5,103.24	5,741.42
राज्य स घ उ	83,966	97,858	1,08,250	1,22,897	1,38,723
कारोबार का राज्य स घ उ से प्रतिशतता	3.02	3.33	3.73	4.15	4.14

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारोबार की एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। यह 2010-11 में ₹ 2,539.52 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 5,741.42 करोड़ हो गई। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कारोबार का प्रतिशत 2010-11 में 3.02 प्रतिशत से बढ़कर, 2014-15 में 4.14 प्रतिशत हो गया।

3.1.12.2 2010-11 से 2014-15 के दौरान राज्य के कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल लाभ (हानि) अर्जन (खर्च) को निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1.4 कार्यरत सा क्षे उ के लाभ/हानि (-)



(कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े संबंधित वर्ष में कार्यरत सा क्षे उ की संख्या को दर्शाते हैं)

वर्ष 2010-11 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानि ₹ 221.62 करोड़ थी जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 562.75 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 में हानि में ₹ 191.80 करोड़ की कमी आई। 2014-15 में घाटे में जाने वाले सा क्षे उ ने अपनी स्थिति को व्यापक रूप में सुधारा और ₹ 283.09 करोड़ का लाभ कमाया।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 21 कार्यरत सा क्षे उ में से 12 सा क्षे उ में ₹ 408 करोड़ का लाभ और नौ सार्वजनिक उपक्रमों में ₹ 124.91 करोड़ की हानि हुयी। उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 323.40 करोड़), राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड लिमिटेड (₹ 30.01 करोड़) और उत्तराखंड वन विकास निगम (₹ 36.86 करोड़) लाभ अर्जित करने में प्रमुख योगदान देने वाले

¹⁰ कारोबार 30 सितम्बर को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

सा क्षे उ थे। डोईवाला चीनी कम्पनी लिमिटेड (₹ 38.21 करोड़), किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (₹ 34.95 करोड़) और उत्तराखंड परिवहन निगम (₹ 25.35 करोड़) में भारी नुकसान हुआ।

3.1.12.3 सा क्षे उ के कुछ अन्य प्रमुख मानकों को नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.10: राज्य सा क्षे उ के मुख्य मानक

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
नियोजित पूँजी पर प्रति फल (प्रतिशत)	0.98	(-) 3.56	0.59	(-) 6.31	8.74
ऋण	2,465.29	2,883.12	2,702.00	2,929.57	3,245.73
कारोबार ¹¹	2,539.52	3,258.60	4,042.00	5,103.24	5,741.42
ऋण/कारोबार अनुपात	0.97:1	0.88:1	0.67:1	0.57:1	0.57:1
ब्याज अदायगियाँ	271.63	288.64	276.93	281.65	358.33
संचित लाभ/हानि	(-)807.79	(-)1,905.97	(-)2,081.42	(-)2,034.59	(-)1,883.90

(₹ करोड़ में)

उपरोक्त आँकड़े, सा क्षे उ के कारोबार को छोड़कर सभी सा क्षे उ से सम्बन्धित हैं

उपरोक्त में देखा जा सकता है कि नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक अस्थिर प्रवृत्ति को दिखाता है। ऋण कारोबार अनुपात जो वर्ष 2010-11 में 0.97:1 था जो घटकर वर्ष 2014-15 में 0.57:1 हो गया। संचित हानि जो वर्ष 2010-11 में ₹ 807.79 करोड़ थी वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 2,081.42 करोड़ तथा उसके बाद वर्ष 2014-15 में घटकर ₹ 1,883.90 करोड़ हो गयी।

3.1.12.4 राज्य सरकार ने सा क्षे उ के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सा क्षे उ द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी सा क्षे उ द्वारा लाभांश घोषित नहीं किया गया।

3.1.13 अकार्यरत सा क्षे उ का परिसमापन

3.1.13.1 31 मार्च 2015 को चार अकार्यरत सा क्षे उ (सभी कम्पनियाँ) थे। इनमें से एक सा क्षे उ नामतः यू पी ए आई लिमिटेड 31 मार्च 1991 से समापन की प्रक्रिया में थी। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत सा क्षे उ की संख्या नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1.11: अकार्यरत सा क्षे उ

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	4	4	4	4	4
अकार्यरत सांविधिक निगमों की संख्या	-	-	-	-	-
किया गया व्यय	इन कम्पनियाँ ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान कोई व्यय नहीं किया था।				
योग	4	4	4	4	4

चूँकि अकार्यरत सा क्षे उ राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहे हैं और अपने निर्धारित उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर रहे, अतः इन सा क्षे उ को या तो बंद या पुर्नर्जीवित किया जाए।

3.1.13.2 अकार्यरत सा क्षे उ के परिसमापन होने के स्तर नीचे दिये गये हैं:

¹¹ कार्यरत सा क्षे उ का कारोबार 30 सितम्बर को नवीनतम अन्तिमीकरण लेखों के अनुसार है।

तालिका 3.1.12: अकार्यरत सा क्षेत्र 3 का समापन

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्र 3 की संख्या	04	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्न लिखित के अंतर्गत संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01	-	01
(ब)	स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात्बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी कम्पनी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुई थी। एक मात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 24 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया तेजी से और सख्ती से अपनाई/ अनुकरण की जानी चाहिए। सरकार को तीन अकार्यरत सा क्षेत्र 3 के समापन के बारे में निर्णय लेना चाहिए।

3.1.14 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

वर्ष 2014-15 के दौरान नौ कार्यरत कम्पनियों ने अपने 10 लेखा परीक्षित लेखों को महालेखाकार को प्रेषित किया। इसमें से आठ कम्पनियों के नौ¹² लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा एक कम्पनी को गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले प द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले प की पूरक लेखापरीक्षा कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति इंगित करती है। (तालिका 3.1.13) लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में और सुधार की स्थिति यथावत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका 3.1.13 में दिया गया है:

तालिका 3.1.13: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कार्यरत कम्पनियों पर मौद्रिक प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	108.47	5	28.07	5	22.94
2.	हानि में वृद्धि	4	86.07	2	16.96	2	0.76
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	1	28.25	1	180.16	2	72.39
4.	वर्गीकरण की गलती	4	26.80	1	4.37	3	290.27

नि म ले प और सांविधिक लेखापरीक्षक की टिप्पणी का मुख्य प्रभाव ₹ 110.40 करोड़ किच्छा चीनी कम्पनी लिमिटेड (2013-14), ₹ 149.13 करोड़ डोईवाला चीनी कम्पनी लिमिटेड (2013-14) और ₹ 75.39 करोड़ उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2014-15) के लेखाओं पर था और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सम्बन्ध में क्रमशः ₹ 4.88 करोड़ और ₹ 14.28 करोड़ से लाभ में कमी निहितार्थ थी।

¹² उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उधम लि के दो लेखा (2011-12 एवं 2012-13) अंतर्मीकृत के अधीन है।

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने नौ सा क्षे उ के सभी 10 खातों के लिए अर्हता प्रमाणपत्र और उद्घोषणायें दी थी। इसके अतिरिक्त, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई प्रतिकूल प्रमाणपत्र इन खातों के लिए जारी नहीं किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, नि म ले प ने सात खातों पर प्रतिकूल टिप्पणियां दी थीं। पुनश्च, इन खातों पर अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान कोई उद्घोषणा वाली टिप्पणी नहीं दी गयी थी। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की स्थिति बहुत खराब रही जैसे कि वर्ष के दौरान सात खातों में 14 ऐसे मामले थे जिनमें लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 के दौरान तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने आठ लेखों¹³ को महालेखाकार को अग्रेषित किया। इन लेखों की लेखापरीक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व नि म ले प का था जो कि पूरा कर लिया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले प की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.14: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सांविधिक निगमों पर प्रभाव

क्र.सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़)
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	2	49.49
2.	हानि में वृद्धि	-	-	1	25.07	6	87.40
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उद्घोषित न किया जाना	-	-	-	-	-	-
4.	वर्गीकरण की गलती	-	-	-	-	2	0.88

लेखापरीक्षा में टिप्पणियों की राशि वर्ष 2013-14 में ₹ 25.07 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 137.77 करोड़ हो गयी। लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ में वृद्धि स्पष्ट रूप से यह दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है।

3.1.15 सरकार की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

सा क्षे उ से सम्बन्धित प्रस्तर

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन में छः ड्राफ्ट प्रस्तरों जिनका मूल्य ₹ 89.57 करोड़ था, सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया कि उनका जवाब छः सप्ताह के अन्दर भेजने का कष्ट करें। तथापि, राज्य सरकार सम्बन्धित प्रस्तरों के सम्बन्ध में कोई अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2015)।

¹³ उत्तराखण्ड पेयजल निगम के दो लेखे, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के चार लेखे एवं उत्तराखण्ड वन एवं विकास निगम के दो लेखे।

3.1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

लंबित प्रत्युत्तर

भारत के नि म ले प की रिपोर्ट लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कार्यपालक उस पर उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्रकाश में लायें। सभी प्रशासनिक विभागों को कोपू की किसी प्रश्नावली का इंतजार किए बिना, निर्धारित प्रारूप में, भारत के नि म ले प के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए प्रस्तर/ समीक्षा पर अपना उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणी उस प्रतिवेदन के विधान मंडल में प्रस्तुति के तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने हैं:

तालिका 3.1.15: व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त न होना (31 दिसम्बर 2015 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/ सा क्षे उ)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुल समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या		समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए	
		समीक्षायें	प्रस्तर	समीक्षायें	प्रस्तर
2010-11	दिसम्बर 2012	1	4	01	04
2011-12	सितम्बर 2013	1	2	01	02
2012-13	नवम्बर 2014	1	2	01	02
2013-14	नवम्बर 2015	0	06	0	06
योग		3	14	03	14

उपर्युक्त में यह देखा जा सकता है कि तीनों विभागों से सम्बन्धित उपरोक्त प्रस्तर/ समीक्षा जिन पर टीका-टिप्पणी की गई है, पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2015 तक)।

3.1.17 सा क्षे उ समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

30 सितंबर 2015 तक समीक्षा लेखापरीक्षा व प्रस्तर जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा क्षे उ) में शामिल किए गये हैं और जिन पर सा क्षे उ की समिति द्वारा चर्चा की गई है, की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका 3.1.16: 31 दिसम्बर 2015 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल समीक्षा/प्रस्तर व उन पर चर्चा

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षा/प्रस्तरों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		प्रस्तर लेखापरीक्षा जिस पर चर्चा हुई	
	समीक्षायें	प्रस्तर	समीक्षायें	प्रस्तर
2008-09	1	5	-	1
2009-10	1	5	1	2
2010-11	1	4	1	-
2011-12	1	2	1	1
2012-13	1	2	-	-
योग	5	18	3	4

3.1.18 सा क्षे उ समिति के प्रतिवेदन का अनुपालन

मार्च 2007 से मार्च 2015 तक कोपू के छः प्रतिवेदनों से संबंधित 15 प्रस्तरों पर जो राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किए गए, कोई कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसंबर 2015)। जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.1.17: कोपू प्रतिवेदनों पर अनुपालन

वर्ष जिसमें कोपू की बैठक हुई	कुल बैठकों की संख्या	कोपू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदनों पर कुल अनुशंसा की संख्या	अनुशंसा की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुए
2014-15	05 ¹⁴	02	07	जहाँ कृत कार्यवाही टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई वहाँ कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई
2015-16	06 ¹⁵	02	08	
योग	11	04	15	

मार्च 2007 से मार्च 2012 तक कोपू प्रतिवेदन में भारत के नि म प ले के प्रतिवेदन में छपी ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित संस्तुतियां शामिल हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि: (क) निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट प्रस्तरों/समीक्षा लेखापरीक्षाओं और कोपू द्वारा दी गयी संस्तुतियों एवं कृत कार्यवाही टिप्पणी के जवाब एक निर्धारित समय पर दिए जायें (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित अवधि के भीतर की जाये और (ग) लेखापरीक्षा आपत्तियों के लिए प्रत्युत्तरो की व्यवस्था में सुधार किया जाये।

3.1.19 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विभाग की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 के प्रस्तर संख्या 3.5 में लेखापरीक्षा ने बताया कि उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि ने निरन्तर विद्युत आपूर्ति का 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर (सरचार्ज) न लगाकर एक उपभोक्ता को ₹ 2.12 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया। विभाग ने अब इस उपभोक्ता को निरन्तर विद्युत आपूर्ति उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत कर लिया है व अप्रैल 2014 से 15 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर (सरचार्ज) लगा दिया है। तदनुसार, विभाग ने अप्रैल 2014 से मार्च 2015 का ₹ 53.12 लाख संग्रहित किया। तथापि, मई 2010 से मार्च 2014 के ₹ 2.12 करोड़ के अतिरिक्त उपकर की वसूली के विषय में विभाग द्वारा सूचित किया जाना अपेक्षित है।

3.1.20 इस अध्याय का आच्छादन

इस अध्याय में छः प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है जिसका वित्तीय प्रभार ₹ 89.57 करोड़ है।

3.1.21 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार की कम्पनियों और सांविधिक निगमों के निजीकरण का कोई प्रकरण नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य सा क्षे उ में सरकार की इक्विटी के विनिवेश के लिए कोई नीति तैयार नहीं की थी।

¹⁴ मार्च 2007, मार्च 2008, मार्च 2010, मार्च 2011 एवं मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

¹⁵ मार्च 2007, मार्च 2008, मार्च 2009, मार्च 2010, मार्च 2011 एवं मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

अनुपालन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

3.2 परिहार्य व्यय

यू पी सी एल द्वारा ऊर्जा के क्रय-विक्रय हेतु ऊर्जा बाजार में पंजीयन न किए जाने के परिणामस्वरूप ऊर्जा व्यापारियों को देय व्यापार लाभ/लेन-देन शुल्क के रूप में ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) राज्य की एक मात्र वितरण अनुज्ञापी है, जो राज्य की ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए ऊर्जा की अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य उत्पादक कम्पनी¹⁶, स्वतंत्र ऊर्जा उदपादक (स्व ऊ उ), केन्द्रीय पूल में राज्य के अंश एवं ऊर्जा व्यापारियों के माध्यम से खुले बाजार/ऊर्जा बाजार से ऊर्जा का क्रय करती है। ऊर्जा बाजारों से ऊर्जा के क्रय हेतु दो विकल्प उपलब्ध हैं; प्रथमतः, ऊर्जा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से पंजीयन कराकर एवं द्वितीय ऊर्जा बाजार के ऊर्जा व्यापारियों से ऊर्जा का क्रय। दूसरे विकल्प में, ऊर्जा व्यापारी द्वारा प्रति इकाई ऊर्जा क्रय पर व्यापार लाभ प्रभारित किया जाता है।

अभिलेखों की जांच (मार्च 2015) में पाया गया कि यू पी सी एल ने ऊर्जा बाजार में अपना पंजीयन नहीं कराया था, बजाय इसके इसने ऊर्जा बाजार से अल्पकालीन ऊर्जा क्रय हेतु ऊर्जा व्यापारियों¹⁷ से अनुबन्ध किये तथा ऊर्जा व्यापारियों को व्यापार लाभ तथा सेवा शुल्क के रूप में वर्ष 2011-12 से 2014-15 की अवधि में ₹ 4.68 करोड़ का भुगतान किया जिस का विवरण निम्न तालिका 3.2.1 में दिया गया है:

तालिका 3.2.1

वर्ष	ऊर्जा व्यापारी का नाम	बाजार से क्रय की गई ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट्स)	व्यापार लाभ (₹ प्रति इकाई के किलो वाट)	व्यापारी को भुगतान किया गया कुल व्यापार लाभ (₹ लाख में)	सेवा शुल्क @12.36 प्रतिशत (₹ लाख में)	ऊर्जा व्यापारी को कुल भुगतान (₹ लाख में)
2011-12	ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	1.64	0.020	0.33	0.03 ¹⁸	0.36
2012-13	ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	203.74	0.020	40.75	5.04	45.79
2013-14	ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	919.90	0.020	183.99	22.74	206.73
2014-15	ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड/मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड	1,276.46	0.015	191.47	23.67	215.14
	कुल	2,401.74	--	416.54	51.48	468.02

¹⁶ उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड।

¹⁷ मेसर्स ग्लोबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड।

¹⁸ वर्ष 2011-12 के लिए सेवा कर की प्रभावी दर 10.30 प्रतिशत थी।

यह भी इंगित किया जाना है कि यू पी सी एल ने स्वयं ही ऊर्जा बाजार के माध्यम से अल्पकालीन ऊर्जा क्रय में बचत करने के तथ्य का विश्लेषण किया तथा इसके निदेशक मण्डल ने इसी आधार पर ऊर्जा बाजार की प्रत्यक्ष सदस्यता ग्रहण करने के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया था (नवम्बर 2013)। तथापि, यू पी सी एल ऐसे किसी पंजीकरण के लिए आगे नहीं बढ़ा तथा ऊर्जा व्यापारियों को प्रभारणीय व्यापार लाभ लेन-देन शुल्क का भुगतान जारी रखा।

प्रबन्धन ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि निदेशक मण्डल ने पॉवर एक्सचेंज ऑफ इण्डियन लि. (पी एक्स आई एल) में पंजीकरण का अनुमोदन किया था जिसका ऊर्जा बाजार में अंश मात्र दो प्रतिशत था तथा यह यू पी सी एल की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि ऊर्जा व्यापारी ऊर्जा क्रय बिलों के भुगतान हेतु 11 दिनों की पश्च भुगतान उधार सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यदि यू पी सी एल ऊर्जा बाजार में प्रत्यक्ष सदस्यता ग्रहण करता है तो पृथक कार्यालय स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यू पी सी एल ऊर्जा व्यापारियों से नियमित रूप से ऊर्जा क्रय कर रहा है। यह भी इंगित किया जाना है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के मध्य यू पी सी एल ने 1.64 एम यू से 1276.46 एम यू तक मात्रा की सीमा में अल्पकालीन ऊर्जा क्रय की, पी एक्स आई एल एवं इण्डियन एनर्जी एक्सचेंज (आई ई एक्स) की प्रतिदिन औसत व्यापार मात्रा क्रमशः आठ एम यू प्रतिदिन एवं 81 एम यू प्रतिदिन है। पी एक्स आई एल में एक वर्ष में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा 2920 एम यू (8 एम यू x 365) है जो कि यू पी सी एल की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, आई ई एक्स में पंजीकरण कराने का विकल्प सदैव ही यू पी सी एल के पास उपलब्ध है क्योंकि ऊर्जा बाजार के माध्यम से क्रय ऊर्जा की मात्रा वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। पुनश्चः, यू पी सी एल का यह उत्तर कि 'व्यापारी ऊर्जा खरीद बिलों पर 11 दिन की पश्च भुगतान उधार सुविधा देता है' सही नहीं था क्योंकि इस प्रकार भुगतान ऋण सुविधा का कोई भी प्रावधान अनुबंध साथ ही साथ व्यापारी के बिलों में नहीं था। तथापि, अनुबंध के अनुसार यू पी सी एल क्रय दिवस के दो दिन के पश्चात भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरायी है। इसके अतिरिक्त, यू पी सी एल में ऊर्जा क्रय के लिए एक अलग विंग कार्य कर रहा है। इस प्रकार से ऊर्जा बाजार में पंजीकरण न करने के कारण वर्ष 2014-15 तक यू पी सी एल ने व्यापारी को देय ₹ 4.68 करोड़ व्यापार लाभ लेन-देन शुल्क का भुगतान किया जबकि किसी भी ऊर्जा बाजार में एक मुश्त ₹ 39.10 लाख पी एक्स आई एल में अथवा ₹ 70.06 लाख आई ई एक्स में प्रवेश तथा प्रतिभूति शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण कराकर इसे बचाया जा सकता था।

इस प्रकार, ऊर्जा बाजार में अपना पंजीयन न करवाने में, यू पी सी एल की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप, ₹ 4.68 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

यह प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (जुलाई 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.3 पुनर्संचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

3.3.1 परिचय

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पुनर्संचित त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम (पु त्व ऊ वि सु का) के लिये कार्यदायी संस्था है। कार्यक्रम राज्य के 31 नगरों¹⁹ में संचालित है। कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक प्रत्यक्ष निष्पादन निरंतर हानि में कमी, निरंतर परिशुद्ध बेस लाइन डाटा के संग्रहण के लिए विश्वसनीय एवं स्वचालित प्रणाली की स्थापना एवं ऊर्जा लेखांकन के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो भागों नामतः भाग अ और भाग ब में है।

- **भाग (अ) :** इसके अंतर्गत परियोजना क्षेत्र के लिये बैस लाइन डाटा उपभोक्ता सूची तैयार करना, भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ सू प्र) मानचित्रक, वितरण ट्रान्सफार्मरों एवं फीडरों पर मीटर लगाना है, सभी वितरण ट्रान्सफार्मरों तथा फीडरों के लिए स्वचालित डाटा लॉगिंग, पर्यवेक्षित नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण (प नि डा अ) प्रणाली सम्मिलित है। इसमें मीटर रीडिंग, बिलिंग एवं संग्रहण, ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के लिये सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का अंगीकरण सम्मिलित है।
- **भाग (ब) :** इसके अंतर्गत 11 के वी स्तर के उपकेन्द्रों एवं ट्रान्सफार्मरों/ ट्रान्सफार्मर केन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण, 11 के वी के स्तर एवं उसके नीचे की लाइनों का पुनः परिचालन, भार का बाँटना, फीडर पृथक्कीकरण, भार संतुलन, एच वी डी एस (11 के वी), सघन क्षेत्रों में एरियल बंच केबल का परिचालन, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मीटरों को छेड़छाड़ रहित इलेक्ट्रॉनिक मीटर से बदलना, कैपेसिटर बैंको एवं मोबाइल सेवा केन्द्र को स्थापित करना इत्यादि सम्मिलित है। जहाँ पर उप पारेषण प्रणाली कमजोर हो, उसका 33 के वी या 66 के वी से सुदृढीकरण करना भी सम्मिलित है। पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (पी एफ सी), भारत सरकार की मार्ग दर्शिकाओं के अनुसार, यदि भाग ब का कार्य निर्धारित समयावधि²⁰ में पूरा नहीं होता तो पी एफ सी के ऋण को अनुदान में नहीं बदला जायेगा।

यू पी सी एल मुख्यालय एवं 31 नगरों में से 25 नगरों के अभिलेखों की नमूना जांच कर मार्च 2015 से सितम्बर 2015 की अवधि में लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए सम्पादित की गयी कि वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 की अवधि में पु त्व ऊ वि सु का से वांछित परिणाम प्राप्त हुए या नहीं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.2 कार्यक्रम का भाग-अ

3.3.2.1 वित्तीय प्रबन्धन

कार्यक्रम के अनुसार, प्रारम्भ में 100 प्रतिशत निधियाँ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में ऐसी शर्तों पर जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्णित थी नोडल एजेन्सी के द्वारा

¹⁹ उत्तराखण्ड राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार 31 नगरों की जनसंख्या 10,000 से अधिक है।

²⁰ अक्टूबर 2016।

प्रदान की गयी थी। पुनश्च, अनुमोदित परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक परियोजना के अनुमोदन पर भारत सरकार ऋण के अग्रिम के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्रों के सापेक्ष प्रमाणित दावों पर 60 प्रतिशत, तथा वितरित ऋण के पूर्ण उपयोग के पश्चात शेष 10 प्रतिशत अवमुक्त किया जाना था।

यू पी सी एल के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 163.42 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष, भारत सरकार ने ₹ 75.49 करोड़ जारी किया था जिसके सापेक्ष यू पी सी एल ने ₹ 75.76 करोड़ का व्यय किया (मार्च 2015)। यह पाया गया कि यू पी सी एल ने ₹ 82 करोड़ जो कि अगस्त 2015 तक व्यय किये गये थे, के उपयोगिता प्रमाण पत्र पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पी एफ सी), भारत सरकार को प्रस्तुत किये थे (अगस्त 2015)। यू पी सी एल को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किया गया व्ययाधिक्य वर्तमान तक भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

3.3.2.2 भाग-अ के कार्यों का क्रियान्वयन

परियोजना में चयनित 31 नगर क्षेत्रों में आने वाले, सभी उपभोक्ताओं का भौगोलिक सूचना प्रणाली (भौ सू प्र) में मानचित्रण किया जाना था; वितरण ट्रान्सफार्मरों में मीटर एवं मोडम स्थापित किये जाने थे; मीटर रीडिंग, बिलिंग एवं संग्रहण के लिए अपनाये गये सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग; ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा को शुरू किया जाना; तथा प्रणाली आवश्यकता विशिष्टीकरण के अनुसार यू पी सी एल के उप-खण्डीय कार्यालयों में दो एम बी पी एस की दर से प्रारम्भिक इन्टरनेट संयोजन तथा 128 के बी पी एस की दर से द्वितीयक संयोजन उपलब्ध कराना सम्मिलित था। पच्चीस नगरों के अभिलेखों की जांच के दौरान, निम्नलिखित कमियां पाई गयी:

i. उपभोक्ताओं का मानचित्रण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2015 तक 25 में से 16 नगरों²¹ में 37,895 उपभोक्ता अभी भी भौ सू प्र में मानचित्रित होने थे। नये उपभोक्ताओं के भौ सू प्र के मानचित्रण न होना इन उपभोक्तों की भौतिक स्थिति तथा उपभोग के तरीके का पता नहीं लगने के रूप में परिणामित हुई।

ii. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की स्वाँचालित मीटर रीडिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दस नगरों²² में, उपभोक्ता मीटर रीडिंग स्टेटस लेजर के अनुसार, 25 किलो वाट से ऊपर के कुल 1,196 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं में से 551 उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग स्वाँचालित मीटर रीडिंग की स्थान पर हाथ से की जा रही थी, जो कि मीटर रीडिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अपर्याप्त क्रियान्वयन की ओर संकेत करता है।

iii. इन्टरनेट संयोजन

उ पा का लि में व्यवधान रहित नेटवर्क संयोजन के लिये प्राथमिक संयोजन दो एम बी पी एस की दर से एवं द्वितीयक संयोजन 128 के बी पी एस की दर से प्रणाली आवश्यकता विशिष्टीकरण के

²¹ काशीपुर (2,772), रुद्रपुर (5,644), देहरादून (8,847), टिहरी (1,769), हरिद्वार (1,198), बाजपुर (450), सितारगंज (1,306), खटीमा (3,468), रामनगर (1,322), उत्तरकाशी (144), नैनीताल (284), पिथौरागढ़ (557), मंगलौर (1,693), लन्डौरा (657), कोटद्वार (5,956), हल्द्वानी (1,869)।

²² बाजपुर (64/168), देहरादून (127/294), सितारगंज एवं खटीमा (62/122), रामनगर (06/14), उत्तरकाशी (17/27) नैनीताल (27/84), रानीखेत (11/37), हरिद्वार (175/361) एवं ऋषिकेश (62/129)।

अन्तर्गत उपखण्डों को दिया जाना था। यह देखा गया कि 48 में से 29 केन्द्रों पर केवल प्राथमिक इन्टरनेट संयोजन दिया गया। इसके अतिरिक्त, एक केन्द्र में दो एम बी पी एस से कम का संयोजन दिया गया। द्वितीयक इन्टरनेट संयोजन किसी भी केन्द्र पर नहीं दिया गया। फलस्वरूप, यू पी सी एल व्यवधानरहित इन्टरनेट संयोजन सभी केन्द्रों में देने में असफल रहा।

iv. डी टी आर की मीटरिंग

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2015) कि सात नगरों²³ में 2026 मीटर में से 435 मीटर जो कि वितरण ट्रॉन्सफार्मर पर लगे हुए थे खराब/ निष्क्रिय पाये गये जिसकी वजह से ए टी एण्ड सी हानियों का सही मापन नहीं हो पाया।

v. मीटरिंग उपकरणों की अपर्याप्त सुरक्षा

डी टी आर पर लगे उपकरणों की चोरी की घटनाएं रूड़की एवं हल्द्वानी नगरों में पाई गईं। यू पी सी एल के पास पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत लगे उपकरणों की चोरी से सुरक्षा हेतु कोई भी प्रलेखित कार्य योजना नहीं थी।

प्रबन्धन ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि अब नये विकल्पों को ढूंढा जा रहा है, जिससे की सभी कार्यालयों को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा सके और यह भी अवगत कराया कि सभी प्रशिक्षण खण्डों को सूचित कर दिया है कि ट्रॉन्सफार्मरों पर लगे खराब अथवा निष्क्रिय मीटरों को बदलने की जिम्मेदारी उनकी है।

3.3.3 कार्यक्रम का भाग-ब

3.3.3.1 वित्तीय प्रबन्धन

कार्यक्रम के अनुसार, भाग-ब के अन्तर्गत, परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक, परियोजना के अनुमोदन पर, भारत सरकार से ऋण के अग्रिम के रूप में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में/स्वयं के संसाधनों से अवमुक्त किया जाना था, परियोजना लागत का 50 प्रतिशत चिन्हित मानकों की प्राप्ति के सापेक्ष प्रगति/ उपयोगिता के आधार पर किये गये प्रमाणित दावों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में उत्तरोत्तर वितरित किया जाना था। परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत, भा स एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछली किस्तों के माध्यम से वितरित ऋणों के पूर्ण उपयोगिता के सापेक्ष ही भा स ऋण के रूप में वितरित होना था।

यू पी सी एल के अभिलेखों में पाया गया कि ₹ 584.10 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत के सापेक्ष, भारत सरकार ने ₹ 176.74 करोड़ ही अवमुक्त किये जिसके विरुद्ध यू पी सी एल केवल ₹ 97.87 करोड़ का व्यय करने में ही सक्षम था जो कि निधियों के अपर्याप्त उपयोग को प्रदर्शित करता है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यू पी सी एल ने पु त्व ऊ वि सु का की निधियों को प्राप्त करने के लिए 31 पृथक परियोजना-वार खाते खोलने के स्थान पर मात्र एक खाता खोला (मार्च 2009)। ये पृथक खाते केवल अगस्त 2014 में ही खोले गये जबकि ये खाते मार्च 2009 में ही परियोजना-वार खोले जाने थे। इसके अतिरिक्त, परियोजना-वार प्राप्त वास्तविक अनुदान जमा करने

²³ देहरादून (59/952), रूड़की (73/217), मंगलौर एवं लन्ढौरा (45/65), कोटद्वार (15/52), रुद्रपुर (91/406) एवं हल्द्वानी (152/334)।

के बजाय, यू पी सी एल चतुष्पक्षीय अनुबन्ध²⁴ एवं ऊर्जा मन्त्रालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए मुख्य खाते से इन 31 खातों में आवश्यकता के आधार पर धनराशि अन्तरित की गई।

3.3.3.2 यूपीसीएल पर अतिरिक्त भार

परियोजना की डी पी आर को पी एफ सी द्वारा प्रमाणित तथा तकनीकी - व्यावसायिक रूप से मूल्यांकित किया गया तथा तत्पश्चात् त्व ऊ वि सु का की संचालन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई। पुनश्चः, पी एफ सी अपने अंशदान को अनुमोदित लागत तक ही सीमित रखती है।

- i) लेखापरीक्षा ने पाया कि यू पी सी एल ने डी पी आर²⁵, देहरादून के केन्द्र एवं दक्षिण खण्डों तथा टिहरी में कुल ₹ 17.28 करोड़²⁶ के कार्यों को शामिल किये बिना, प्रस्तुत कर दी। ये कार्य 33 के वी एवं 11 के वी उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण से सम्बन्धित थे तथा भाग-ब परियोजनाओं के लिए आवश्यक थे। इससे प्रदर्शित हुआ कि यू पी सी एल द्वारा डी पी आर वास्तविक आधार पर तैयार नहीं की गई थी जो यू पी सी एल पर अतिरिक्त भार के रूप में परिणामित हुई। यदि इन कार्यों को डी पी आर में शामिल कर लिया जाता तो यू पी सी एल द्वारा ₹ 17.28 करोड़ के अतिरिक्त भार को बचाया जा सकता था, क्योंकि इन कार्यों के लिए पी एफ सी से अनुदान प्राप्त किया जा सकता था। प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपरोक्त कार्य आन्तरिक संसाधनों से करवाये जा रहे थे। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उपरोक्त सभी कार्य पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत डी पी आर (भाग-ब) बनाते समय सम्मिलित किये जाने चाहिये थे।
- ii) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि यू पी सी एल द्वारा 10 नगरों²⁷ के लिए पी एफ सी, भा स की संचालन समिति से अनुमोदित (अक्टूबर 2011) डी पी आर की दरों से अधिक दरों पर अनुबंध किया गया। परिणामस्वरूप यू पी सी एल अब ₹ 58.22 करोड़ के अतिरिक्त भार को वहन करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि पी एफ सी ने केवल डी पी आर लागत को ही अनुमोदित किया। प्रबन्धन का उत्तर प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, यू पी सी एल को ₹ 75.50 करोड़ का अतिरिक्त भार त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण डी पी आर प्रस्तुत करने तथा पी एफ सी द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर अनुबन्ध गठित करने के कारण वहन करना पड़ा।

3.3.3.3 परिसमापन क्षति की अल्प कटौती

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम, 2008 एवं यू पी सी एल द्वारा किये गये अनुबन्ध के अनुसार यदि परियोजनाओं के समापन में विलम्ब होता है तो अनुबन्ध के मूल्य का 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन अर्थदण्ड

²⁴ चतुष्पक्षीय अनुबन्ध की शर्तों के कम्पनी, जो पु त्व ऊ वि सु का अनुदान प्राप्त करने वाली कम्पनी है, को तुरन्त ही परियोजना-वार पृथक खाता/ उपलेखा शीर्ष, प्राप्ति एवं व्यय पक्ष में पृथक लेखांकन वर्गीकरण हेतु खोलना था।

²⁵ फरवरी 2011 देहरादून के लिए एवं जुलाई 2011 टिहरी के लिए।

²⁶ ₹ 6.92 करोड़ + ₹ 10.34 करोड़ + ₹ 0.02 करोड़ क्रमशः।

²⁷ नैनीताल: ₹ 1.01 करोड़, उत्तरकाशी: ₹ 1.07 करोड़, टिहरी: ₹ 0.75 करोड़, विकासनगर: ₹ 1.05 करोड़, पौड़ी: ₹ 0.80 करोड़, कोटद्वार: ₹ 1.63 करोड़, अल्मोड़ा: ₹ 1.08 करोड़, गोपेश्वर: ₹ 0.79 करोड़, जोशीमठ: ₹ 0.60 करोड़ एवं देहरादून: ₹ 49.44 करोड़।

काटा जायेगा जो कि अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य के मूल्य (आपूर्ति + निर्माण) का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चार नगरों²⁸ में निर्धारित समाप्ति की तिथि में 100 दिन का विलम्ब होने पर यू पी सी एल ने अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत अर्थदण्ड काटने के स्थान पर 10 प्रतिशत अर्थदण्ड बिलों के मूल्य, जो ठेकेदारों ने जमा किया, पर काटा था जिसके फलस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ का अर्थदण्ड कम काटा गया।

3.3.3.4 भाग-ब के कार्यों की क्रियान्वयन

भाग-ब के कार्यों की धीमी प्रगति

उपकेन्द्रों, ट्रॉन्सफार्मरों/ ट्रॉन्सफार्मर केन्द्रों का नवीनीकरण, आधुनिकिकरण एवं सुदृढीकरण, लाइनों का पुनः परिचालन, भार बांटना, फीडर पृथक्कीकरण, भार संतुलन एवं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मापको को छेड़छाड़ रहित इलैक्ट्रॉनिक मीटरों में बदलना इत्यादि प्रमुख कार्यों को योजना के अन्तर्गत करना था। पुनश्चः, पी एफ सी, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, यदि भाग 'ब' के कार्य निर्धारित समयावधि में (अक्टूबर 2016) पूरा नहीं होते तो पी एफ सी ऋण को अनुदान में नहीं बदला जायेगा। अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं:

- 15,930 खराब तीन फेज मापकों के सापेक्ष केवल 624 (3.92 प्रतिशत) ही बदले गये।
- 17,605 तीन फेज मीटर जिन्हें उपभोक्ताओं के घर के बाहर लगाना था, के सापेक्ष केवल एक मीटर ही स्थानान्तरित हुआ।
- 473.80 कि मी नई 11 के वी लाइनों को बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 72.95 कि मी (15.40 प्रतिशत) लाइन बन पायीं।
- 325.945 कि मी एल टी लाइन को एच टी लाइनों में परिवर्तित करने के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 12.80 कि मी (3.93 प्रतिशत) ही परिवर्तित की गई।
- लेखापरीक्षा में यह पाया कि 16 नगरों²⁹ में मै. जीनस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबन्ध गठित किये गये थे जो कि 18 महीने की समयावधि अर्थात् अगस्त 2014 तक पूरे होने थे। अप्रैल 2015 को इन नगरों के भाग-ब कार्यों की प्रगति 5.32 से 29.35 प्रतिशत की सीमा में थी, तथापि, निर्धारित कार्य पूर्ण करने की तिथि (अगस्त 2014) पूर्व में ही समाप्त हो चुकी थी।

चयनित नगरों में, आगे यह पाया गया कि:

i. डीपीआर के प्रस्तुतिकरण/तैयार करने तथा कार्य आवंटन में विलम्ब

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 प्रकरणों में भाग अ की डी पी आर अनुमोदित होने के छः महीने समायोजित करने के पश्चात् भी भाग ब के डी पी आर के प्रस्तुतिकरण/ तैयार करने में 258 से 313 दिनों तक का विलम्ब हुआ तथा भाग ब की डी पी आर अनुमोदित होने के पश्चात् भी निविदा आमंत्रित करने में 309 से 576 दिनों का तथा कार्य आवंटित करने में

²⁸ कोटद्वार, पौड़ी, रानीखेत एवं अल्मोड़ा।

²⁹ काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर, गदरपुर, लक्सर, हरिद्वार, बाजपुर, लन्ढौरा, मंगलौर, रुड़की, रामनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, सितारगज, खटीमा एवं किच्छा।

491 से 870 दिनों का विलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप कार्य समाप्ति में देरी हुई तथा कार्य की लागत बढ़ी।

- लेखापरीक्षा में पाया गया की देहरादून नगर की डी पी आर, आरंभ में पु त्व ऊ वि सु का के भाग-ब के कार्यों तथा प नि डा अ कार्यों को सम्मिलित करते हुए फरवरी 2011 में पी एफ सी को तथा उसी की पुनरीक्षित डी पी आर पुनः दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत की गई जो की संचालन समिति से फरवरी 2013 में अनुमोदित हुई। अनुबंध एक वर्ष के विलम्ब के पश्चात् फरवरी 2014 में गठित हुआ। तथापि, एक साल व्यतीत होने के पश्चात् (फरवरी 2014 से) केवल 16 प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई। प नि डा अ से संबंधित कार्य प्रारंभ नहीं किये गये थे (जून 2015)।

ii. स्थापित डी टी आर का ऊर्जीकृत न होना

- ट्रॉन्सफार्मरों के लिए मानक तीन प्रतिशत हानि के सापेक्ष यह पाया गया की रुद्रपुर नगर में हानि दर 7.24 से 24 प्रतिशत तक थी। आगे, योजना के अन्तर्गत ₹ 58.45 लाख³⁰ मूल्य के विभिन्न क्षमताओं के 25 ट्रॉन्सफार्मर विभिन्न स्थानों³¹ पर स्थापित किये गये थे। तथापि, इन ट्रॉन्सफार्मरों की स्थापना के बाद तीन महीने से ज्यादा व्यतीत होने के पश्चात् भी जून 2015 तक इन ट्रॉन्सफार्मरों को ऊर्जीकृत या उपयोग में नहीं लाया गया था। यदि उन्हें उपयोग में लाया जाता तो स्थापित ट्रॉन्सफार्मरों की हानि दर को न्यूनतम किया जा सकता था।
- रामनगर नगर में 157 डी टी स्थापित होने थे, यह पाया गया कि सितम्बर 2015 तक मात्र 66 डी टी ही स्थापित हो सके। 66 डी टी में से मात्र 10 डी टी ही ऊर्जीकृत थे तथा शेष 56 डी टी अप्रयुक्त पड़े रहे (सितम्बर 2015)।

iii. पु त्व ऊ वि सु का कार्यों का आंतरिक संसाधनों द्वारा क्रियान्वयन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के अन्तर्गत 33/11 के वी उपकेन्द्र रामनगर के दो पावर ट्रॉन्सफार्मर (पी टी) की क्षमता क्रमशः पाँच एम वी ए से आठ एम वी ए तथा आठ एम वी ए से 10 एम वी ए ठेकेदार द्वारा बढ़ायी जानी थी। दो में से, एक पांच एम वी ए का पी टी, यू पी सी एल के आंतरिक स्रोतों से 10 एम वी ए से परिवर्तित करा दिया गया जिससे यू पी सी एल पर ₹ 56.92 लाख का वित्तीय भार पड़ा, यदि पी टी का बदलाव/ स्थापना पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत होता तो इससे बचा जा सकता था।

iv. ठेकेदार को मौलिक बुनियादी ढाँचा प्रदान न किया जाना

- लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि रुड़की में दिनांक 12.02.2013 को मै. जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक अनुबंध गठित किया गया था। भाग-ब, पु त्व ऊ वि सु का के अन्तर्गत एक 33/11 के वी उपकेन्द्र रुड़की नगर में बनना प्रस्तावित था। तथापि, दो वर्ष

³⁰ 100 के वी ए के 20 डी टी आर x ₹ 2.51 लाख = ₹ 50.20 लाख एवं 25 के वी ए के 05 डी टी आर x ₹ 1.65 लाख प्रत्येक = ₹ 8.25 लाख।

³¹ ठाकुरनगर (कृष्णा कॉलोनी) - तीन ट्रॉन्सफार्मर, कन्चनतारा होटल (मुख्य बाजार) - दो ट्रॉन्सफार्मर, संजयनगर - तीन ट्रॉन्सफार्मर, दरिया नगर/ आवास विकास - 12 ट्रॉन्सफार्मर एवं शक्ति विहार - पाँच ट्रॉन्सफार्मर।

बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक उपरोक्त उपकेन्द्र के लिये भूमि को अंतिम रूप/ अधिग्रहण नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप, भाग ब के कार्यों के निष्पादन में देरी हुई।

- अल्मोड़ा नगर में भी दो ट्रॉन्सफार्मरों, एक एस बी आई खत्याली और दूसरा चम्पानौला कालोनी में पु त्व ऊ वि सु का, भाग ब के अन्तर्गत लगाये गये। इन ट्रॉन्सफार्मरों को अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि जिस भूमि पर ट्रॉन्सफार्मरों को लगाया गया वो विवादित थी। ट्रॉन्सफार्मरों को दूसरी जगह पर लगाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि पु त्व ऊ वि सु का, भाग ब के कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण राईट ऑफ वे, जनता का विरोध, ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त श्रम शक्ति लगाना, विभिन्न चरणों के अनुमोदन में अधिक समयावधि जैसे ड्राईंग अनुमोदन इत्यादि थे। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि इन मुद्दों पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण करने से पहले विचार किया जाना चाहिये था और तदनुसार अनुसूचित समापन समय को निर्धारित करना चाहिये था।

3.3.4 परिचालन मानदण्ड

सफल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (स त वा) हानि, इनपुट ऊर्जा और उपभोक्ताओं से एकत्रित धनराशि का अंतर है। यदि यू पी सी एल स त वा हानि में डेढ़ प्रतिशत की कमी लाता है तो राजस्व ₹ 41.01 करोड़³² बढ़ जायेगा। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि 20 नगर परियोजना के स त वा हानियाँ³³ जो कि भाग अ की डी पी आर (2008-09) में दर्शायी गई थी और जो स त वा हानियाँ (2011-12) बेस लाइन हानियाँ के रूप में दर्ज की गई थी, में अंतर था जो निम्नवत है:

तालिका 3.3.1 20 परियोजनाओं/ नगर के ए टी एण्ड सी हानियों के बीच अन्तर

क्र.सं.	नगर का नाम ³⁴	भाग-अ डी पी आर के अनुसार स त वा हानियाँ (2008-09) (प्रतिशत में)	विभिन्न माह के दौरान लिए गये तीन माह की बिलिंग चक्र में नगर की बेस लाइन हानियाँ (प्रतिशत में)	आर ए पी डी आर पी भाग-ब की डी पी आर के अनुसार स त वा हानियाँ (प्रतिशत में)	2014-15 के अंतिम त्रैमास में टाउन की स त वा हानियाँ (प्रतिशत में)
1.	अल्मोड़ा	14.15	38.58	38.11	35.78
2.	खटीमा	50.78	68.02	45.40	52.22
3.	ऋषिकेश	49.90	33.84	49.37	29.14
4.	विकासनगर	15.58	55.31	44.58	41.93
5.	टिहरी	38.74	46.94	41.52	29.80
6.	टनकपुर	50.36	57.02	55.49	16.96
7.	पिथौरागढ़	55.76	48.85	57.63	40.27
8.	गदरपुर	49.66	80.97	37.64	78.25
9.	गोपेश्वर	38.42	44.45	35.46	39.71
10.	हल्द्वानी	39.14	56.56	51.43	29.26
11.	हरिद्वार	36.69	49.31	34.16	27.07
12.	जसपुर	55.13	79.45	74.10	73.94
13.	जोशीमठ	44.19	59.28	54.17	42.30
14.	काशीपुर	42.50	54.96	63.00	49.50
15.	किच्छा	34.43	48.63	45.61	58.01

³² वर्ष 2014-15 में विक्रय की गई कुल ऊर्जा = 11,888.23 एम यू x 1.5/100 = 178.32 एम यू । राजस्व की बचत: 178.32 x 10⁶ x 2.30 = ₹ 41.01 करोड़।

³³ स त वा हानियाँ प्राप्त ऊर्जा एवं वसूली गयी धनराशियों के बीच अन्तर को प्रदर्शित करती हैं।

³⁴ 31 नगरों में से 20 नगरों का विवरण ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया।

16.	कोटद्वार	11.20	41.14	30.50	29.45
17.	मसूरी	18.99	26.28	36.80	29.81
18.	नैनीताल	19.03	45.97	26.50	27.35
19.	पौड़ी	18.58	46.42	57.15	31.06
20.	रामनगर	35.17	42.21	55.24	27.24

स्रोत: यू पी सी एल के अभिलेखों से संकलित सूचना/ऑकड़े

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि पांच नगरों में कार्यक्रम के भाग ब के कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् भी परियोजना क्षेत्र की स त वा हानियाँ 0.85 प्रतिशत से 40.61 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं, जो यह दर्शाता है कि इन नगरों में किये गये ₹ 6.40 करोड़³⁵ के व्यय से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। प्रबंधन का उत्तर प्रतीक्षित है।

3.3.5 विविध बिन्दु

3.3.5.1 योजना का स्वच्छ विकास तंत्र में पंजीकरण न कराया जाना

स्वच्छ विकास तंत्र (स्व वि त) विकासशील देशों की उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को सर्टीफाइड इमीशन रिडकशन क्रेडिट (सी ई आर) जो कि एक टन कार्बनडाई ऑक्साइड (का ऑ) के समान है, को अर्जित करने की अनुमति देता है। पु त्व ऊ वि सु का के दिशानिर्देशों के उपनियम 13 (स) में यह प्रावधान है कि कुल स त वा हानियों के भाग के तौर पर पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी, युटिलिटी को ऊर्जा उत्पादन बचाने के लिए का ऑ उत्सर्जन कम करने के लिए स्व वि त के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् कार्बन क्रेडिट का दावा करने के लिए सक्षम करेगा। परियोजना की लागत घटाने के लिए एवं उसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए राज्य की युटिलिटी को स्व वि त का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक प्रतिशत लाइन हानि कम होने से 118.88 एम यू की बचत होगी जो कि 1,17,334.56 टन कार्बन उत्सर्जन के समान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्व वि त भत्तों का लाभ लेने के लिए परियोजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक कदम यू पी सी एल ने नहीं उठाये।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2015) कि परिणाम निर्धारित करने योग्य हानियों में कमी करके ही स्व वि त का लाभ लिया जा सकता है जो कि पु त्व ऊ वि सु का भाग अ के सफल कार्यान्वयन के पश्चात् ही उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, स्व वि त का लाभ लेने के लिए नोडल एजेन्सी से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि सभी परियोजनाओं के लिए अनिवार्य स्व वि त फार्म जमा करने हेतु छः माह का समय पहले ही बीत चुका था।

3.3.5.2 विश्वसनीय सूचकांको का निर्धारण नहीं किया जाना

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन के मानक) विनियमन, 2007 की अनुसूची-II में उल्लिखित निष्पादन के मानक हेतु यह आवश्यक है कि अनुज्ञप्तिधारक (यू पी सी एल)

³⁵ गदरपुर ₹ 1.01 करोड़, खटीमा ₹ 1.01 करोड़, गोपेश्वर ₹ 1.02 करोड़, किच्छा ₹ 1.14 करोड़ एवं नैनीताल ₹ 2.22 करोड़।

विश्वसनीयता/ व्यवधान सूचकांक यथा सैफी, मैफी तथा सैदी³⁶ की गणना करेगा तथा उसे आयोग को प्रतिवर्ष प्रतिवेदित करेगा। पुनश्चः, अनुज्ञप्तिधारक द्वारा आयोग को वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत करते समय इन सूचकांको के वार्षिक रूप से लक्ष्य स्तर प्रस्तावित किये जाने की आवश्यकता थी, जो इस क्रम में इन्हें प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी था ताकि वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में निष्पादन के सम्पूर्ण मानक निर्धारित हो सके।

यू पी सी एल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया है कि यू पी सी एल उपरोक्त विश्वसनीयता/ व्यवधान सूचकांको को आयोग को प्रतिवेदित करने सम्बन्धी अपने कर्तव्य में असफल रहा। यह अन्ततः व्यवधान को कम करके वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता को बेहतर करने में किसी भी प्रकार की बाध्यता से यू पी सी एल को मुक्त करते हुए आयोग के द्वारा दिए गए इन सूचकांको के अधिकतम लक्ष्य स्तर को निर्धारित न किये जाने के रूप में परिणामित हुआ।

शासन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2015) की वे प्रणाली कि विश्वसनीयता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

3.3.5.3 अपर्याप्त सतर्कता जाँच

बिजली की चोरी और मीटरों से छेड़छाड़ को जाँचने के लिये सतर्कता दल का गठन हुआ था। तथापि, सतर्कता दल ने छापा मारने/ जाँचने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सतर्कता दल ने वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के दौरान (सितम्बर 2015) कुल 10,033 संयोजनो की जाँच की जिनमें से केवल 944 संयोजनों को सही पाया गया। 2,838 प्रकरणों में एफ आई आर दर्ज की गई और 2,614 उपभोक्ताओं से ₹ 6.25 करोड़ मौके पर ही वसूल किये गये और 2,087 उपभोक्ताओं कि विद्युत आपूर्ति अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई। यह भी पाया गया कि जाँचे गये संयोजनों में से 90 प्रतिशत से अधिक प्रकरण विद्युत आपूर्ति³⁷ के अनाधिकृत इस्तेमाल से संबंधित थे। यह पाया गया कि जाँचने का प्रतिशत नगण्य था; क्योंकि मार्च 2015 में कुल संयोजन 18.91 लाख थे जिसमें से केवल 10,033 संयोजनों की ही पाँच वर्षों के दौरान जाँच की गई थी।

3.3.5.4 अनुश्रवण

परियोजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिये यह सुनिश्चित करना था की पु त्व ऊ वि सु का के सभी आवश्यक साधनों को मानने के लिये और योजना के लक्ष्य को विधिवत प्राप्त करने के लिये राज्य स्तर पर वितरण सुधार समिति (वि सु का) का गठन किया जाना था। उपरोक्त समिति का गठन

³⁶ सैफी (प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक) - सैफी सूचकांक, एक पोषक में पांच मिनट से ज्यादा समय के लिए विद्युत आपूर्ति बन्द रहने की औसत संख्या की ओर संकेत करता है, सैदी (प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक) सैदी सूचकांक संकेत करता है कि एक व्यवधान आने के बाद पोषक कितनी देर तक बाधित रहा तथा मैफी (सामयिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक) मैफी व्यवधान आवृत्ति सूचकांक है, यह किसी एक पोषक में, किसी व्यवधान के घटित होने की सम्भावनाओं की आवृत्ति को प्रकट करता है।

³⁷ यू पी सी एल की सतर्कता शाखा से प्राप्त सूचना/आँकड़ों के अनुसार 10,033 संयोजन उनके द्वारा जाँचे गये, जिनमें से 9,089 संयोजन दोषपूर्ण पाये गए (2,614 संयोजनों से मौके पर ही दण्ड वसूल किया गया, 2,087 संयोजनों को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया, 2,838 संयोजनों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की गई, 371 संयोजन अत्यधिक भार के पाये गए, 429 संयोजन गलत वर्गों में पाए गए तथा शेष 750 संयोजनों में अन्य दोष पाए गए)।

उत्तराखण्ड में 29 जुलाई, 2009 को किया गया। लेखापरीक्षा में पाया कि जुलाई 2009 से मार्च 2015 तक समिति की कुल चार बैठक परियोजना की डी पी आर के अनुमोदन के लिये हुई। समिति ने सम्पूर्ण समयावधि के दौरान योजना की प्रगति का मूल्यांकन नहीं किया।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

भाग अ के अनुखण्डों के अपूर्ण क्रियान्वयन और भाग ब के अन्तर्गत कार्यों की बहुत धीमी प्रगति के कारण योजना अपेक्षित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। भाग ब के कार्यान्वयन के बावजूद ए टी एण्ड सी हानियां बढ़ी। यू पी सी एल विद्युत आपूर्ति के सूचकांक की विश्वसनीयता को निर्धारित करने में और उच्चतम स्तर पर योजना का उचित अनुश्रवण करने में असफल रहा। भाग ब के कार्यों की प्रगति अत्यधिक धीमी होने के कारण यह प्रबल सम्भावना है कि भारत सरकार का ऋण अनुदान में परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

योजना की डी पी आर में लक्ष्यों को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिये। यू पी सी एल को सुनिश्चित करना चाहिये डी पी आर का सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के उपरान्त अनुबन्धों को समय पर गठित किया जाये। योजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिये डी आर सी की नियमित बैठकें की जानी चाहिये। यू पी सी एल को चोरी एवं विद्युत आपूर्ति से छेड़छाड़ की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये।

3.4 अतिरिक्त स्कन्ध का निपटान न होना

निपटान न होने के कारण ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का अप्रयुक्त रहना।

स्कन्ध एक मूर्त सम्पत्ति है तथा कार्यशील पूँजी का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जिसका प्रभावी प्रबंधन किया जाना आवश्यक है।

स्कन्ध प्रबंधन में किफायती मात्रा दर निर्धारण, उचित भंडारण सुविधा उपलब्ध कराना, तथा कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, तथा स्कन्ध का नियंत्रण सम्मिलित है।

अधिशाली अभियंता, 400 के वी उपकेन्द्र काशीपुर के अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2014) में पाया कि उपकेन्द्र के निर्माण के दौरान ₹ 1.20 करोड़ के स्कन्ध का आवश्यकता से अधिक क्रय होने के कारण उपकेन्द्र में उपयोग नहीं हो सका। अप्रयुक्त स्कन्ध नवम्बर 2006 से खुले स्थान पर अनुपयोगी पड़ा रहा, जैसा कि साथ के चित्र में दिख रहा है। चूंकि, स्कन्ध की अब आवश्यकता नहीं थी, इसका अन्यत्र उपयोग कर निगम के मूल्यवान आर्थिक साधनों को बचाया जा सकता था। तथापि, लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि, किसी खण्ड द्वारा रखने के लिए अनुकूलतम बफर स्कन्ध का निर्धारण करने हेतु प्रबंधन के पास आज तक कोई लिखित नीति नहीं है।



यह भी देखा गया कि स्कन्ध को छः साल तक रखने के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को इसके अन्य खण्डों में उपयोग हेतु सूचित किया। तथापि, यह पूर्ण नहीं किया जा सका, तथा स्कन्ध उपकेन्द्र में खुले स्थान पर यथावत पड़ा रहा। इस प्रकार, इन सामानों की गुणवत्ता में कमी आ जाने की सम्भावना से मना नहीं किया जा सकता।

प्रकरण इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2014) प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2015) कि स्कन्ध में रखी गयी सामग्री खण्ड के क्षेत्राधिकार के उपकेन्द्रों तथा लाइनों में लगे सामान के 4.67 प्रतिशत तक है। यह भी बताया गया कि सामग्री अति विशिष्ट है तथा खरीदे गए दाम में उपलब्ध नहीं हो सकती तथा इसको निरन्तर देख भाल की जा रही है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि निगम नवम्बर 2006 से सितम्बर 2015 के मध्य उक्त स्कन्ध की किसी भी सामग्री का उपयोग करने में असफल रहा तथा उपरोक्त स्कन्ध को केन्द्रीय भण्डार में भी नहीं भेजा गया जहाँ से निगम के अन्य खण्डों द्वारा उपयोग की सम्भावना थी। प्रकरण को पूर्व में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के मध्य भी तीन अवसरों पर प्रकाश में लाया गया तथा प्रत्येक अवसर पर प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा को यह आश्वस्त किया कि यह स्कन्ध उपयोग कर लिया जाएगा, किन्तु यह उपयोग करने में असफल रहा। यदि अतिरिक्त स्कन्ध का निपटारा कर लिया गया होता तो निगम अपने मूल्यवान आर्थिक साधनों को बचा सकता था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना एवं विकास निगम लिमिटेड

3.5 निरर्थक व्यय

केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने में सिडकुल की शिथिलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के कोष से ₹ 25.81 लाख व्यय हुए।

भारत सरकार ने (सितम्बर 2002) देहरादून में शहरी हाट के निर्माण के लिए ₹ 1.81 करोड़ की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी, जिसको हथकरघा विकास आयुक्त (वि आ), हस्तशिल्प वि आ (दोनों भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आधीन) और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 35:35:30 के अनुपात में वहन किया जाना था। हाट का, कारीगरों और दस्तकारों द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए उपयोग किया जाना था। शहरी हाट योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वीकृति के 18 महीने के अन्दर हाट को पूरा किया जाना था। स्वीकृति के शर्तों के अनुसार, यदि अनुदानग्राही अनुदान के उद्देश्य, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत था, को पूर्ण करने में विफल रहता है, अनुदानग्राही को अनुदान एवं उसके ऊपर छः प्रतिशत वार्षिक दर से, जो कि बाद में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2013 में 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, ब्याज वापस करेगा। स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) को परियोजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था और 3.46 एकड़ भूमि भी रेशम फार्म, नत्थनपुर, देहरादून में परियोजना के लिए चयनित की गई।

प्रबन्ध निदेशक (प्र.नि.) सिडकुल के अभिलेखों की जाँच (मई 2014) में पाया गया कि सिडकुल ने इस प्रयोजन के लिए प्रथम किस्त के रूप में क्रमशः ₹ 56.00 लाख (दिसम्बर 2002), ₹ 31.68 लाख (फरवरी 2003) और ₹ 31.68 लाख (दिसम्बर 2003) क्रमशः राज्य सरकार, वि आ हथकरघा और वि आ हस्तशिल्प से प्राप्त किए। चयनित भूमि भी मार्च 2003 में सिडकुल को स्थानांतरित कर दी गई थी। विभिन्न औपचारिकताओं³⁸ को पूर्ण करने में सिडकुल को चार साल लग गए, जबकि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम डी डी ए) से मानचित्र फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया था। औपचारिकताओं में विलम्ब के कारण, परियोजना संशोधन हेतु सिडकुल के पास विचाराधीन थी, जबकि संशोधन की प्रक्रिया के दौरान ही राज्य सरकार ने चयनित भूमि कानून और न्याय विभाग को सौंप दी थी (सितम्बर 2008)। भूमि के इस टुकड़े के स्थान पर, राज्य सरकार ने सिडकुल को हाट निर्माण के लिए कोई भी वैकल्पिक स्थान नहीं दिया। वर्तमान तक सिडकुल पहले से ही परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों जैसे एम डी डी ए के द्वारा नक्शा अनुमोदन, परामर्शदाता को भुगतान, विज्ञापन, उद्घाटन आदि के भुगतान पर ₹ 25.81 लाख³⁹ राशि व्यय कर चुका था।

परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण, भारत सरकार ने परियोजना को रद्द कर दिया और अवमुक्त राशि को 10 प्रतिशत वार्षिक दर के दंडात्मक ब्याज के साथ ₹ 72.06 लाख⁴⁰ वसूल किया। इसके अतिरिक्त, राज्य के कारीगर और दस्तकार भी परियोजना के संभावित लाभ से वंचित थे।

प्रकरण इंगित किए जाने पर (मई 2014), सिडकुल प्रबंधन ने तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया (दिसम्बर 2014 और जुलाई 2015) कि फरवरी 2015 में दंडात्मक ब्याज के साथ भारत सरकार को राशि वापस कर दी गई थी।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.6 निष्फल व्यय

सिडकुल के द्वारा अनुचित अनुबंध प्रबंधन अपनाए जाने के कारण परियोजना विकास तथा संवर्धन भागेदारी (पीडी और पीपी) पर ₹ 95 लाख का निष्फल व्यय।

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (आई एल एण्ड एफ एस) के मध्य परियोजना विकास और संवर्धन भागीदारी (पी डी और पी पी) की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन

³⁸ (i) कृषि भूमि का वाणिज्यिक भूमि के रूप में परिवर्तन (ii) उत्तरी रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र और (iii) मसूरी देहरादून डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (एम डी डी ए) से हाट के आलेखन का अनुमोदन।

³⁹ अनुमोदन शुल्क हेतु एम डी डी ए को ₹ 16.65 लाख का भुगतान, सलाहकार शुल्क के रूप में ₹ 4.60 लाख का भुगतान और ₹ 4.56 लाख का विविध व्यय।

⁴⁰ दण्डात्मक ब्याज = ₹ 72.06 (वि आ हथकरघा से ₹ 34.556 लाख + वि आ हस्तशिल्प से ₹ 37.50 लाख), प्रत्येक से प्राप्त ₹ 31.675 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से।

(स जा) हस्ताक्षरित किया गया जिसके अंतर्गत दोनो पक्ष एक साथ कार्य करेंगे और बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के लिए विविध क्षेत्र की गतिविधियों⁴¹ का दायित्व लेंगे।

स जा के उप वाक्य 2.2 और 4.6 के अनुसार, सिडकुल और आई एल एण्ड एफ एस द्वारा सह-वित्तीय व्यवस्था अर्थात् परियोजना विकास निधि (प वि नि) को सिडकुल और आई एल एण्ड एफ एस द्वारा प्रत्येक को ₹ एक करोड़ प्रारंभिक योगदान से स्थापित करना था। अध्ययन प्रलेखन, पेशेवर और परामर्श शुल्क के भुगतान के खर्च को पूरा करने के लिए एक अलग बैंक खाते द्वारा इस निधि का रखरखाव और प्रबंधन आई एल एण्ड एफ एस द्वारा किया जाना था। इसके अतिरिक्त, राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास और संवर्धन के उद्देश्य के लिए स जा पर हस्ताक्षर होने के (सितम्बर 2006) छः माह के भीतर एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी (स उ क) के रूप में एक औपचारिक संस्थागत ढांचे की स्थापना करना था।

अभिलेखों की जांच (जून 2014) में पाया गया कि ₹ दो करोड़ की प वि नि दोनो पक्षों द्वारा ₹ एक करोड़ के बराबर योगदान से पक्षों द्वारा चिन्हित की गई परस्पर परियोजनाओं पर परियोजना के विकास व्यय (प वि व्यय) को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। निधि में से ₹ 1.90 करोड़ का व्यय प वि व्यय के रूप में व्यय किया गया था। व्यय परियोजना विकास निधि, व्यावसायिक शुल्क, व्यवहार्यता अध्ययन, सलाहकार शुल्क इत्यादि पर किया गया था और जो परियोजनाओं की सफल बोली लगाने वालों से वसूल लिया गया था। लेकिन, न तो अप्रैल 2009 तक परिकल्पित स उ क का गठन किया गया और न ही किसी परियोजना को विकसित किया गया था। परिणामस्वरूप, सिडकुल ने एक संशोधित स जा हस्ताक्षर के लिए आई एल एण्ड एफ एस के पास भेजा (मई 2009), लेकिन यह हस्ताक्षरित नहीं किया गया था और इसके बाद इस सम्बन्ध में सिडकुल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगस्त 2012 में, आई एल एण्ड एफ एस ने सिडकुल को सूचित किया कि पी पी पी मोड में प्रस्तावित परियोजनाओं के सफलतापूर्वक समाप्ति की दिशा में कोई संभावना नहीं थी और प वि व्यय से वसूली की सम्भावना नगण्य थी। इस प्रकार, इतनी बड़ी राशि अर्थात् ₹ 1.90 करोड़ जिसमें सिडकुल की हिस्सेदारी ₹ 95.00 लाख की धनराशि थी जो प वि व्यय के कुल राशि का 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व था, खर्च करने के बाद भी पी पी पी मोड के तहत उत्तराखण्ड में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य असफल रहा और व्यय भी निष्फल रहा।

प्रकरण इंगित किए जाने पर, सिडकुल ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा आपत्तियों को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है और आई एल एण्ड एफ एस को सिडकुल द्वारा जमा की गई हिस्सेदारी को ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया था।

⁴¹ पी पी पी में परियोजना विकास और परियोजना कार्यान्वयन, निधियों के उपयोग हेतु प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रक्रिया प्रबंधन, औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए सहायता, सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के लिए कार्यालय और परियोजना प्रबंधन तथा सलाहकार/ पेशेवर गतिविधियों को शामिल करना।

तथापि, स जा के उप वाक्य 2.2 के अनुसार, प वि नि से किया गया व्यय पी पी पी मोड के तहत राज्य में आए परियोजनाओं के लिए सफल बोली लगाने वालों से वसूल किया जाना था। आज तक कोई भी सफल बोली लगाने वाला नहीं आया, व्ययों की वसूली की सम्भावना कठिन है। इस प्रकार, सिडकुल के स जा के कार्यान्वयन और परिकल्पित स उ क का निर्माण में दूरदृष्टि के अभाव में एवं अनुपयुक्त अनुबंध प्रबन्धन अपनाने के कारण कोई भी परियोजना विकसित न हो सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.00 लाख का निर्थक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, इस व्यय की वसूली भी संदिग्ध है।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मार्च 2015); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

3.7 राजस्व का परित्याग

आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों का आवंटन रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (सिडकुल) का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ाना और रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को उत्पन्न कर राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना था और अंततोगत्वा राज्य के आधार संसाधनों में भी वृद्धि करना था। इस उद्देश्य हेतु, निगम औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु भू-खण्ड आवंटित करता है। तथापि, आवंटी को आवंटन/लीज डीड की तारीख के दो वर्षों के अन्दर ही निर्माण कार्य को पूर्ण कर मशीनरी स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन को शुरू करना था, जिसमें विफल होने पर भूखण्ड का आवंटन रद्द करना और जमा राशि का हरण कर लेना है।

अभिलेखों की जाँच (जून 2014) से पाया गया कि निगम द्वारा (जनवरी और अप्रैल 2006) ₹ 13.94 लाख⁴² और ₹ 44.26 लाख⁴³ की कीमत पर क्रमशः 1,992 वर्ग मी. और 8,047.71 वर्ग मी. क्षेत्र के दो भूखण्डों का आवंटन एकीकृत औद्योगिक सम्पदा (आई आई ई) पंतनगर में दो निजी कम्पनियों को क्रमशः 'हेलमेट' और 'जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों' के उत्पादन के लिए आवंटित किए गए थे। तथापि, आवंटियों ने लेखापरीक्षा तिथि तक भूखण्ड पर न तो निर्माण कार्य पूर्ण किया न ही व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया। निगम को आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप 2008 में ही भूखण्ड का आवंटन रद्द कर जाना चाहिए था। इस प्रकार, भूखण्ड आवंटियों के पास ही बने रहे जो कि मानदण्डों का उल्लंघन है और जो निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति में रुकावट बनी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ₹ 4.30 करोड़⁴⁴ की राशि को प्राप्त कर सकता था यदि उपरोक्त आवंटन निर्माण गतिविधियों के शुरू न करने के कारण रद्द होते और नए उद्योगों को वर्तमान दरों पर पूर्णस्थापित किया जाता। यह संभावित राजस्व था जो कि निगम द्वारा वसूल किया जा सकता था। इसके अलावा, पुनः आवंटन भी निगम के उद्देश्यों के अनुकूल होना।

⁴² 1,992 वर्ग मी. @ ₹ 700 प्रतिवर्ग मी. = ₹ 13.94 लाख।

⁴³ 8,047.71 वर्ग मी. @ ₹ 550 प्रतिवर्ग मी. = ₹ 44.26 लाख।

⁴⁴ 1,992 वर्ग मी. @ ₹ (4,501.25-700) प्रतिवर्ग मी. + 8,047.71 वर्ग मी. @ ₹ (4,951.37 - 550) प्रति वर्ग मी.।

निगम ने बताया (जून 2015) कि आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया विचाराधीन है और निगम को पट्टा किराया और रखरखाव प्रभार वसूल किए जाने के कारण कोई हानि नहीं हुई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन उद्योगों जिन्होंने नौ वर्षों की अवधि में भी व्यापार को शुरू नहीं किया, को आवंटित भूखण्डों को रद्द न करना, न केवल दूरदर्शी वित्तीय ज्ञान के विरुद्ध था, बल्कि औद्योगिकरण के उद्देश्यों के भी विपरीत था। पट्टे के किराये का भुगतान और रख रखाव प्रभार की वसूलियों को, भूखण्डों के आवंटन को रद्द करने के विरुद्ध, बचाव के रूप में नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार, आवंटन के नियम और शर्तों के अनुरूप, भूखण्डों के आवंटन को रद्द करने में निगम की विफलता के कारण निगम ने ₹ 4.30 करोड़ की हानि वहन की।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (मई 2015); उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2015) था।

देहरादून

दिनांक : 31 मार्च 2016



(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 4 अप्रैल 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

